जीवाजी विश्वविद्यालय,ग्वालियर

क्रमांकःजीवि/प्रशा0/स्था0/2020/ 3055 दिनांक : 27.08.2020

// कार्यालयीन आदेश //

प्रायः देखने मे आ रहा है कि विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों से पत्रावलियां प्राप्त हो रही हैं उनमें संबंधित विभागाधिकारी/विभागाध्यक्ष द्वारा प्रकरण से संबंधित संपूर्ण टीप न देकर विभाग की टीप के ऊपर ही केवल हस्ताक्षर कर कुलसचिव की ओर अग्रेषित किये जाते हैं जो नियमानुसार उचित नहीं है।

अतः भविष्य में पत्रावली प्रस्तुत करते समय उनके विभाग के संबंधित शाखा प्रभारियों द्वारा दी गई टीप पर विभागाधिकारी/विभागाध्यक्ष द्वारा प्रकरण के मान्य करने अथवा न करने के संबंध में स्पष्ट टीप दी जावे। विभागाधिकारी/विभागाध्यक्ष द्वारा स्पष्ट टीप न देने के फलस्वरूप संबंधित पत्रावली को मान्य किया जाना संभव नहीं होगा। जिसकी जिम्मेवारी विभागाधिकारी/विभागाध्यक्ष की होगी।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रतिलिपिः–

निम्नललिखित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. समस्त विभागाधिकारी/विभागाध्यक्ष/ विश्वविद्यालय के समस्त विभाग एवं अध्ययनशालायें जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ।
2. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ।
3. कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ।

उप कुलसचिव (प्रशा.)